उत्तराखण्ड शासन

लघु सिंचाई अनुभाग

अधिसूचना

विविध

08 मई, 2013 ई0

संख्या 447/II/2013-01(18)/2006—"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल, उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग लिपिक वर्गीय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग लिपिक वर्गीय (समूह—"ग") सेवा नियमावली, 2013

भाग 1—सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग लिपिक वर्गीय (समूह "ग") सेवा नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग एक लिपिक वर्गीय सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग—।। के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये,

(ग) "मुख्य अभियन्ता" से लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड का मुख्य अभियन्ता अभिप्रेत है,

(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है,

(ड) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग लिपिक वर्गीय (समूह—"ग") सेवा अभिप्रेत है।

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गई हो।

(ट) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–2 संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) लिपिक वर्गीय सेवा राज्यस्तरीय सेवा होगी, सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों के द्वारा परिवर्तित न की जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट में दी गई है।

परन्तु

(क)नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित रख सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी एवं अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

भाग–3 भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(1) कनिष्ठ सहायक के पदों पर–

(क) सीधी भर्ती– 75 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) (एक) 15 प्रतिशत पदों पर भर्ती लघु सिंचाई विभाग के समूह–"घ" के हाईस्कूल अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कार्मिकों से जिन्होने समूह "घ" के पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,

(दो) 10 प्रतिशत पदों पर भर्ती लघु सिंचाई विभाग के समूह–"घ" के इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा 10+2 परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कार्मिकों से जिन्होने समूह "घ" के पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,

कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा, सीधी भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2008 के प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(2) सेवा के अन्य पदों में भर्ती एवं पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली 2011 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार की जायेगी।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4 अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, वर्मा, लंका तथा कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्ववर्ती देशों से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसा अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और ना ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं

8. (1) कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम् शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडियट परीक्षा प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता से कम न हो, तथा

(2) अभ्यर्थी की कम्प्यूटर संचालन में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है एवं कम्प्यूटर हिन्दी टंकण (देवनागरी लिपि) में दक्ष होना आवश्यक है।

अधिमानी अर्हताएं

9. ऐसे अभ्यर्थी को अन्य बाते समान होते हुए, सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने –

(एक) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान प्राप्त किया हो,

(दो) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(तीन) नैशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 18 वर्ष और उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष और और उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अन्य ऐसे श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं का समाधान कर लेगा।

टिप्पणी संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यार्थिनी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो;

परन्तु यदि सरकार को समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–5 भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया

15. (1) उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2008 के अनुरूप की जायेगी।

अनिवार्य अर्हता 15(2)

लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

भर्ती के लिए वांछनीय अर्हता 15(3)

(1) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं एवं रीतियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यनान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा।

(2) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा ओयाग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग तथा सम्बन्धित चयन संस्था जिसे राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए चयन हेतु नामित किया जाय, द्वारा लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रश्नों को भी प्रश्नपत्रों में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग तथा सम्बन्धित चयन संस्था द्वारा जिन पदों के लिए चयन प्रकियाओं में संगत सेवा नियमावली के अनुसार साक्षात्कार की व्यवस्था निहित हो, उनमें उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रश्न भी पूछे जाने की व्यवस्था की जायेगी।

पाठ्यक्रमों में संशोधन 15(4)

(1) लोक सेवा अयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग तथा सम्बन्धित चयन संस्थाऐं चयन हेतु निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा पाठ्यक्रमों में इस नियामवली में दिये गये उपवन्धों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

(2) लोक सेवा आयोग तथा सम्बन्धित चयन संस्था उक्त अनिवार्य/ वांछनीय अर्हताओं को जारी की जाने वाली सार्वजनिक विज्ञप्ति में भी समाविष्ट

करेंगे तथा इस निमित्त आवेदन पत्रों के प्रारूप में भी यथाआवश्यक संशोधित करेंगे।

पदोन्नति के लिए भर्ती प्रकिया

16. (1) इस सेवा के पदोन्नति के पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रकिया नियमावली, 2013 के नियम 3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) के तहत विभागाध्यक्ष द्वारा चयन समिति का निम्नानुसार गठन करते हुए किया जायेगा:–

(क) मुख्य अभियन्ता	अध्यक्ष
(ख) वरिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य
(ग) अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
(घ) समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी	सदस्य

संयुक्त चयन सूची

17. यदि किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उपनियम (2) के अध्याधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस कम में लेकर, जिसमें वे नियम 15, 16 अथवा 17, यथास्थिति, के अधीन बनायी गई सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हैं, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया गया हो और नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न कर ली गयी हो।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस कम में, यथास्थिति, जिस कम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो चयनित व्यक्तियों के नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रीय कम में कमांकित किये जायेंगे।

परिवीक्षा 19. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्त दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जब तक अवधि बढ़ायी गई है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ायी गई अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो, या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किसी पद पर अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गई हो।

स्थायीकरण 20. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा, यदि

(क) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया गया हो,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 21. (1) किसी कार्मिक की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तरांचल सरकारी सेवा (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उनके नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं:

परन्तु यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना

जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा;

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं, तो ज्येष्ठता वह होगी, जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय;

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।
कारणों की वैद्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा एक से अधिक स्रोतों द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय कम में इस प्रकार कमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे।

परन्तु :–

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्ति विहित कोटे से अधिक की जाती है वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेंगी।

(दो)जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियां अनुवर्तीय वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गई। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) में उनका नाम चक्रीय कम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(तीन) जहां नियमों या विहित प्रकिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रकिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियां की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति इसके कोटे की रिक्ति के विरुद्ध की गयी है।

भाग–7 वेतन इत्यादि

वेतनमान 22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' के अनुसार होंगे।

परिवीक्षा के दौरान वेतन 23 (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहां विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्य निदेश न दें, ऐसी बढ़ायी गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

परन्तु यह कि, यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो तब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ायी गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग–8 अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन 24. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी संस्तुति पर, चाहे लिखित हो अथवा मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण 26. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यता पूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति 27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[देखिए नियम 5 (1) (2) एवं 22(2)]

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती का स्रोत
1	कनिष्ठ सहायक	32	5200-20,200 ग्रेड पे–2000	नियम 5(1)(क)(ख)
2	वरिष्ठ सहायक	30	5200-20,200 ग्रेड पे–2800	नियम 5(2)
3	प्रधान सहायक	18	9300-34800 ग्रेड पे–4200	नियम 5(2)
4	प्रशासनिक अधिकारी	18	9300-34,800 ग्रेड पे–4600	नियम 5(2)
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	9300-34,800 ग्रेड पे–4800	नियम 5(2)
	योग	99		

आज्ञा से,

आर0 सी0 पाठक,
सचिव।